उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 07-परीक्षा/2024

प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/07

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- 04-03-2024
ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- 01-05-2024
ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- 31-05-2024
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 07-06-2024

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31-05-2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 31-05-2024 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 07-06-2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

भाग – 01

खण्ड (क) - सामान्य अनुदेश

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के **विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2024, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/07** के अंतर्गत **कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश** के नियंत्रणाधीन **प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी** के कुल रिक्त **3446 पदों** पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/07 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-PET-2023) के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test- PET-2023) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज़्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

खण्ड (ख) - विशेष अनुदेश

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि सेवा ग्रेड-।।। (प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी) परीक्षा-2013 के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस.एल.पी. संख्या-7674/2017 (परिवर्तित संख्या-4815/2019) अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों के विषय में विशेष निर्देश-

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड -।।। (प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी) परीक्षा-2013 के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस.एल.पी. संख्या-7674/2017 (परिवर्तित संख्या-4815/2019) अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में कतिपय अन्य अभ्यर्थियों को भी कृषि प्राविधिक सहायक (ग्रुप सी) के पदों पर चयन संबंधी प्रक्रिया में एक बार प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाना है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश दिनांक- 30-09-2019 का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

" In the result, the common impugned judgement dated 10.02.2017 of the High Court in WP(C) No. 34196 of 2015 and batch of writ petitions is set aside and these appeals are allowed. The private respondents/intervenors and 906 candidates who were not issued appointment orders and those who filed writ petition before the High Court shall be granted age relaxation as one-time measure to participate in the upcoming recruitment. Age relaxation is strictly a one-time measure. Consequently, all the intervenors/impleading applications stand dismissed."

मा० उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के समादर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/ कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने वाले कुल 2384 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है (उक्त सूची आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी) । कृषि विभाग (अनुभाग-4), उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-I/496536/2024, दिनांक 15-02-2024 (File No. 12-4005/1/2020-4-) द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 30-09-2019 से आच्छादित इन 2384 याचियों को निम्नलिखित दो प्रकार की शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है –

(1)- आगामी तकनीकी सहायकों के चयन में पी0ई0टी0 परीक्षा न देते हुए सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति ।

(2)- उपरोक्त द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने हेतु आयु-सीमा में शिथिलता ।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों व तत्क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में आयोग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 30-09-2019 से आच्छादित 2384 याचियों को निर्देशानुसार इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पी0ई0टी0) में प्रतिभाग की अनिवार्यता तथा आयु सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सूच्य है कि सामान्यतः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास सम्बन्धित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किए जाने के फलस्वरूप **P.E.T. Registration Number** होना अनिवार्य होता है तथा बिना वैध **P.E.T. Registration Number** का कोई आवेदक आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में आवेदन नहीं कर सकता है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में इन अभ्यर्थियों से सम्बन्धित विवरण व डाटा उनके द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा हेतु दिये गये आवेदन से स्वतः प्राप्त हो जाता है।

सूच्य है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में उक्त आदेश से आच्छादित 2384 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सीधे प्रवेश (Lateral Entry) दिया जाना है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों से सम्बन्धित विवरण एवं डाटा प्राप्त किये जाने व उक्त मुख्य परीक्षा हेतु उनके पंजीकरण के लिए आयोग द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से विशेष व्यवस्था बनायी गयी है, जिसके अंतर्गत इन अभ्यर्थियों द्वारा **नीचे विज्ञापन के भाग-01 के खण्ड -ग में दिये गये निर्देशों के अनुसार सर्वप्रथम अपने विवरण एवं डाटा को भरकर अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट की जानी होगी । तदुपरान्त इन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के भाग-2 में दी गयी प्रक्रियानुसार P.E.T. Registration Number के स्थान पर अपने अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) का प्रयोग कर आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना होगा।**

इस प्रकार इस विज्ञापन में दो तरह के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाएगा:

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में प्रतिभाग किया गया है एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने **P.E.T. Registration Number** का उपयोग करते हुए विज्ञापन के भाग-2 में दी गयी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियानुसार आवेदन किया जाएगा

तथा

(2) **मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से आच्छादित 2384 अभ्यर्थी, जिन्हें मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों व तत्क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पी0ई0टी0) में प्रतिभाग एवं वैध स्कोर की अनिवार्यता तथा आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए सीधे प्रवेश (Lateral Entry) दिया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों द्वारा सर्वप्रथम विज्ञापन के भाग-1 के खण्ड -ग में दी गयी प्रक्रियानुसार अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट किया जाएगा व तदुपरान्त उक्त अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।**

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से आच्छादित 2384 अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ विज्ञापन के भाग-01 के खण्ड -ग में नियत अंतिम तिथि 20-04-2024 तक अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी अनिवार्य है। इसके पश्चात आयोग द्वारा इन अभ्यर्थियों से सम्बन्धित डाटा एवं विवरण को प्रारम्भिक अर्हता-2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों के डाटा से Merge कराया जाएगा व उसके उपरान्त ही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन की नियमित प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

खण्ड (ग) - अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट करने की प्रक्रिया -

i- आयोग की वेबसाइट पर इन 2384 अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश (Lateral Entry) हेतु दिनांक 20-03-2024 से अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) ऑनलाइन जेनरेट करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, जो कि दिनांक 20-04-2024 तक उपलब्ध रहेगी। उक्त अंतिम तिथि के उपरान्त इन अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट किया जाना संभव नहीं होगा। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जिन अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट कर अपना डाटा एवं विवरण अपलोड कर दिया गया है, उन अभ्यर्थियों के विवरण एवं डाटा को प्रारम्भिक अर्हता-2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों के डाटा से Merge कराया जा सकेगा व उसके उपरान्त ही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन की नियमित प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना संभव होगा। अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) ऑनलाइन जेनरेट करने के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से 2384 अभ्यर्थियों की सूची यथा समय प्रकाशित की जाएगी।

ii- इन 2384 अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध सीधे प्रवेश (Lateral Entry) संबंधी विकल्प/ लिंक पर जाना होगा। उक्त विकल्प/ लिंक पर क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विंडो प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणीकरण विंडो में अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड-III (प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी) परीक्षा-2013 से सम्बन्धित स्वयं के Unique Identification Number/ Registration Number, Roll Number, Date of Birth, Gender, Category व तत्समय आवेदन हेतु दर्ज किये गये Mobile Number को प्रविष्ट करना होगा।

iii- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड-III (प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी) परीक्षा-2013 के सापेक्ष दर्ज किया गया मोबाइल नंबर याद नहीं है, वह प्रमाणीकरण विंडो के अंतर्गत अपना Unique Identification Number/ Registration Number, Roll Number, Date of Birth, Gender, Category प्रविष्ट करने के उपरान्त Get Last Four Digits of Mobile Number विकल्प को क्लिक कर तत्समय दर्ज किये गये मोबाइल नंबर के अंतिम 04 अंक View कर सकते हैं। तदुपरांत अभ्यर्थी तत्समय दर्ज किये गए अपने मोबाइल नंबर की प्रविष्टि प्रमाणीकरण विंडो पर कर सकते हैं।

iv- ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त विकल्प के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर याद नहीं कर पा रहे हैं अथवा ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो वह स्वयं से सम्बन्धित प्रश्नगत रिट याचिका/विशेष अनुज्ञा याचिका से आच्छादित होने विषयक समस्त अभिलेख, शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं अपने आधार कार्ड के साथ आयोग कार्यालय में दिनांक 20-03-2024 से 20-04-2024 तक किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त समस्या के सम्बन्ध में आयोग को सूचित कर सकते हैं।

अन्य किसी माध्यम (ई-मेल, डाक इत्यादि) से प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन तथा उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

v- प्रमाणीकरण के उपरांत अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को उक्त आवेदन पत्र में अपने व्यक्तिगत व शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी विवरण अंकित करने होगें। तत्पश्चात अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो व हस्ताक्षर (वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित प्रारूप पर) अपलोड करना होगा। तदुपरान्त अगले चरण में अभ्यर्थी को स्थायी व अस्थायी पता दर्ज करते हुए आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करना होगा।

vi- आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त अभ्यर्थी को अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (**T.P.E.T. Registration Number**) प्राप्त होगी। अभ्यर्थी उक्त आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें।

vii- अभ्यर्थी अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (**T.P.E.T. Registration Number**) को जेनरेट करने का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त ही उक्त आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है।

viii- संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Home Page** पर उपलब्ध **Lateral Entry (Modify Details)** विकल्प पर जाकर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब **Login** करेगा, तो उसे अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (**T.P.E.T. Registration Number**) को जेनरेट करने हेतु आवेदन में नवीनतम दर्ज किये गये **Mobile Number / Email** पर **OTP (One Time password)** प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस **OTP** को प्रविष्ट करने के उपरान्त उसका भरा हुआ अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (**T.P.E.T. Registration Number**) को जेनरेट करने हेतु आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकता है।

ix- अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (**T.P.E.T. Registration Number**) जेनरेट करने हेतु सबमिट किये गये आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 20-04-2024 तक ही अनुमन्य है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

x- इन 2384 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सीधे प्रवेश (**Lateral Entry**) प्रदान की जा रही है। यह अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत बिना किसी शॉर्टलिस्टिंग के सीधे मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे। शेष जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (**Preliminary Eligibility Test-PET-2023**) के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, मुख्य परीक्षा हेतु उनकी शॉर्टलिस्टिंग विज्ञापन के भाग-02 के प्रस्तर-10(ii) के अनुसार की जाएगी। यदि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से आच्छादित उपर्युक्त 2384 अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 का वैध स्कोर धारित किया जाता है एवं उसके द्वारा इस विज्ञापन में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तो मुख्य परीक्षा हेतु उसकी शॉर्टलिस्टिंग भी विज्ञापन के भाग-2 के प्रस्तर- 10 (ii) के अनुसार ही की जाएगी।

xi- यदि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से आच्छादित 2384 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए अनुचित लाभ की प्रत्याशा में सीधे प्रवेश (**Lateral Entry**) हेतु आवेदन किया जाता है, तो न सिर्फ उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा अपितु उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

xii- अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (**T.P.E.T. Registration Number**) जेनरेट करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

भाग – 02
मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना– इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के **Homepage** पर **Live Advertisement Segment** के अंतर्गत **सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर** उक्त विज्ञापन को **Download/View** कर सकते हैं। **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं।** आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

2.1- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

2.2- अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (31-05-2024) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/ Possess) करना अनिवार्य है।

2.3- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

2.4- जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 31-05-2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें)।

2.5- विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस.एल.पी. संख्या-7674/2017 (परिवर्तित संख्या-4815/2019) अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों से इस संबंध में विशेष सतर्कता अपेक्षित है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.6- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through P.E.T. Registration Number or Through T.P.E.T. Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-P.E.T.-2023) के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

I. **व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)-** अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number), जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।

II. **ओ0टी0पी0 के माध्यम से (Through O.T.P.)-** अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) के सापेक्ष दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

2.7 आवेदन (Application)-

I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के आवेदन अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट करने हेतु आवेदन में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं0, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।

III. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **"Enter Verification Code"** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सबमिट होते ही **"अभ्यर्थी का आवेदन पत्र"** प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.8 <u>फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-</u> इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के आवेदन अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट करने हेतु आवेदन में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त **"Continue"** बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.9 <u>अन्य विवरण (Other Details)-</u> इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबन्ध में Yes/ No में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के आवेदन अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट करने हेतु आवेदन में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

<u>घोषणा (Declaration)</u>

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save & Proceed** करें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के आवेदन अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) जेनरेट करने हेतु आवेदन में दर्ज किया गया विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Proceed to Payment of Fee & Final Submission** बटन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.10- <u>फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)</u>

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking, UPI या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। **अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता।** शुल्क का सफल भुगतान होते ही **Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate** होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी **Payment Acknowledgment Receipt (PAR) को प्रिंट कर सकता है। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ <u>Proceed For Final Submission</u> बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit करते हुए उसका एक Printout भी ले सकता है।**

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card/Debit card, Internet Banking द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी Homepage पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update**

Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।

III- ई–चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। **अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।**

V- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में आयोग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

VI. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) के माध्यम से अथवा आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Application Fee Deposition** विकल्प के माध्यम से लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

VIII - अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।

<u>IX. आवेदन शुल्क</u> – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये जाने की दशा में शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा।

क्रम संख्या	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित/ सामान्य	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- **मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा । मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।**

2.11- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क जमा करने के उपरान्त अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिन्ट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) के माध्यम से लॉगिन कर अपना आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। **अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।**

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर जाकर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

I. **अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।** इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या (T.P.E.T. Registration Number) के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध Modify Submitted Application विकल्प के माध्यम से लॉगिन कर अपना आवेदन संशोधत कर सकते हैं।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवदेन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

a. नाम में वर्तनी की गलती।

b. पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।

c. पत्राचार का पता।

d. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H., उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।

e. जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।

f. लिंग (जेन्डर)।

g. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

विशेष नोट- *उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021 /324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30-07-2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवदेन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।*

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि **07-06-2024** तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णत: सम्बन्धित विभाग की है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिज व लम्बवत आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1
कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
01	कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश	प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी	5200-20200 ग्रेड पे-2400/- पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-4 (25500-81100)	1813	509	151	629	344	3446	स्थायी

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश	प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी	68	46 (L.V.)	46 (H.H.)	45 (O.L., O.A., L.C., Dw., A.A.V.)	00	00	172	689	68

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- **L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)**
- **H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)**
- **O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)**
- **O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)**
- **L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)**
- **Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)**
- **A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)**

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों **(Dependant of Freedom Fighter-DFF)** तथा भूतपूर्व सैनिकों **(Ex-Servicemen)** को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, **1993** (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

5.4- उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021/78/99 टी०सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022 /File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगता की चिन्हांकित श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। **उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**

5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 सं0-02/2022/3/47/का-2/2022 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्राविधानानुसार **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson)** हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

6 - अर्हतायें-

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2019 के अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा **भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा- बी0एस0सी0 (आनर्स) कृषि, बी0एस0सी0 उद्यान/ बी0एस0सी0 (आनर्स) उद्यान, बी0एस0सी0 फारेस्ट्री/ बी0एस0सी0 (आनर्स) फारेस्ट्री, बी0टेक0 (कृषि अभियंत्रण), कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/ कम्युनिटी साइंस में चार वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है।**

अधिमानी अर्हता-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, **पहली जुलाई को, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।**

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, अभ्यर्थियों की दशा में ऊपरी आयु सीमा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8- चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन 1998, द्वितीय संशोधन 2011 एवं तृतीय संशोधन 2019) के प्राविधानानुसार किया जायेगा। तदनुसार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।**

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2024, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/07 के अंतर्गत **प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी** के रिक्त पदों पर चयन हेतु **लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के साथ संलग्न है।** प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के सम्बन्ध में यथासमय पृथक से सूचित किया जायेगा।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

(i) **विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2024, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/07** के अंतर्गत **प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी** के रिक्त पदों पर चयन हेतु **उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष-2013 में आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड -।।। (प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी) परीक्षा-2013 के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस.एल.पी. संख्या-7674/2017 (परिवर्तित संख्या-4815/2019) अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेशों से आच्छादित 2384 अभ्यर्थियों को कृषि विभाग (अनुभाग- 04) उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-I/496536/2024, दिनांक**

15-02-2024 (File No. 12-4005/1/2020-4-) के क्रम में इस विज्ञापन के अंतर्गत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात लिखित मुख्य परीक्षा में सीधे प्रतिभाग करने की शिथिलता प्रदान की गयी है।

(ii) सीधे प्रवेश (Lateral Entry) दिये गये इन 2384 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2024, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/07 के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अन्य अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

(iii) यदि उपर्युक्त 2384 अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी द्वारा **प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 का वैध स्कोर धारित किया जाता है एवं उसके द्वारा इस विज्ञापन में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के P.E.T. Registration Number के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तो उसे उक्त मुख्य परीक्षा हेतु सीधे प्रवेश (Lateral Entry) नहीं दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा हेतु उसकी शॉर्टलिस्टिंग प्रस्तर- 10 (ii) के अनुसार ही की जाएगी।**

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी।

11- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

11.04- भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 31-05-2024 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.06- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने

का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के शासनादेश सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013,दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

11.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11.12- उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

11.13- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

11.14- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी

के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 31-05-2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11.15- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

11.16- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

11.17- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

11.18- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.19- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.20- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.21- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

11.24- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर

अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

11.25- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

11.26- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

11.27- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस.एल.पी. संख्या-7674/2017 (परिवर्तित संख्या-4815/2019) अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों से इस संबंध में विज्ञापन के भाग-02 के प्रस्तर 02 एवं प्रस्तर -10 विशेष रूप से अवलोकनीय है।

11.28- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

File No.47-3099/41/2021- -3-

संख्या-797/47-का-3-2023

प्रेषक,

राम आसरे राम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 04/01/2024

विषयः-प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान (समकक्ष) योग्यता/अर्हता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-706/34/चार/आयोग/2020, दिनांक 08.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निगमों इत्यादि के प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान (समकक्ष) योग्यता/अर्हता वाले पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर शासन की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना दिनांक 11.05.2015 द्वारा **प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के नियम-8(1)** के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निगमों इत्यादि के प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान (समकक्ष) योग्यता/अर्हता वाले पदों पर चयन के संबंध में लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित निम्नवत् परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान (समकक्ष) योग्यता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	i. फसल विज्ञान	25	25	120 मिनट (दो घण्टा) की अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र
	ii. जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप-फिजियोलॉजी	10	10	
	iii. मृदा एवं जल प्रबन्धन	15	15	
	iv. कृषि प्रसार	05	05	
	v. कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं	05	05	
	vi. पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान	05	05	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

<u>नोट</u> - उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी।

पाठ्यक्रम

भाग-1

1- फसल विज्ञान

- फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, मिलेट्स, रेशेदार, नकदी फसलें, मसालें एवं चारावाली फसलें, फल, फूल एवं सब्जी तथा प्रमुख फसलों की खेती की उत्पादन तकनीक एवं शस्य क्रियाएं।
- फसल कटाई उपरान्त उपज प्रबन्धन।
- फल एवं सब्जी का संरक्षण व प्रोसेसिंग।
- फसल चक्र के सिद्धान्त, फसल प्रणाली एवं खेती के प्रकार यथा-शुष्क कृषि, एकीकृत फसल प्रणाली, बहु फसली, अन्तः फसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व एवं प्रकार, सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग।
- बीज का महत्व, प्रकार एवं उत्पादन।
- बीज शोधन की विधियाँ एवं महत्व।
- कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धान्त, उद्देश्य एवं इसका महत्व एवं उनमें प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण व रसायनों का नाम, एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन।

- प्रमुख फसलों के कीट एवं रोग तथा उसका प्रबन्धन।
- उपज भण्डारण की विधियाँ, सिद्धान्त तथा भण्डारण व उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनका प्रबन्धन।

2- <u>जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप-फिजियोलॉजी</u>

- जैव विज्ञान का कृषि में महत्व एवं उपयोग।
- अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धान्त, उपयोग एवं महत्व।
- प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी एवं मेटाबॉलिज्म।

3- <u>मृदा एवं जल प्रबन्धन</u>

- मृदा के गुण, इसके अवयव, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा अपरदन के प्रकार एवं इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय।
- मृदा में पाये जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, महत्व तथा कमी से होने वाले विकार।
- उर्वरकों का वर्गीकरण एवं पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग की विधियाँ।
- एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन, जैव उर्वरक/जैविक खादों के प्रकार, महत्व एवं लाभ।
- मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा इनकी प्रमुख भूमिका।
- मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि तथा मृदा संरक्षण तकनीक।
- सिंचाई के साधन, विधियाँ तथा उनके लाभ।
- जल निकास (ड्रेनेज) की मूल अवधारण एवं विधियां।
- जल संचयन क्षेत्र प्रबन्धन (वाटरशेड मैनेजमेंट)।
- प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण।

4- <u>कृषि प्रसार</u>

- कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धान्त।
- प्रसार विधि-दृश्य एवं श्रृव्य साधन, उनका वर्गीकरण, महत्व।
- प्रशिक्षण-लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार।
- भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गयी विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं।

5- <u>कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं</u>

- वन ट्रिलियन इकोनॉमी हेतु उ0प्र0 का कृषि कार्यो के माध्यम से योगदान।
- कृषि सम्बन्धी आर्थिक सुधार।
- कृषि जिन्सों के आयात एवं निर्यात की अवधारणा।
- कृषि की योजना निर्धारण।
- कृषि सांख्यिकी के सिद्धान्त।
- कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धान्त एवं उपयोगिता।
- फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य।
- कृषि विपणन।

6- पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान

- पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में, पोषक प्रबन्धन।
- पशु प्रजनन उद्देश्य एवं विधियाँ।
- दुग्ध उत्पादन एवं वितरण।
- कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन।
- पशुओं की प्रमुख बीमार, लक्षण, निदान एवं उपचार।

भाग-2

कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान :-

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान

I. हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर

II. इनपुट एवं आउटपुट

III. इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आई0पी0 एड्रेस

IV. आई0टी0 गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग

V. ई-मेल आई0डी0 को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन

VI. प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन

VII. वर्ड प्रोसेसिंग (MS-word) एवं ऐक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व

VIII. ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस

- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, विग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी :-

प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषायें, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

Written Examination Plan and syllabus for selection to the vacant posts of Technical Assistant Group-C and Sugarcane Supervisor

and direct recruitment with similar (equivalent) qualification

There will be one question paper in the written examination, Which will contain 100 questions and the total time duration will be 02 hours. The questions of the examination will be objective and multiple choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer for the examination, which will be 25 percent i.e. ¼ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, related subjects from which questions shall be asked in the exam, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part -1	i. Crop Science	25	25	Two Hours (120 Minutes)
	ii. Biotechnology, Plant breeding & Crop physiology	10	10	
	iii.Soil and Water Conservation	15	15	
	iv.Agriculture Extension	05	05	
	v. Agriculture Economics & Schemes	05	05	
	vi.Dairy & Animal Husbandry	05	05	
Part -2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15	
Part -3	General information related to the state of Uttar Pradesh	20	20	
	Total	**100**	**100**	

Note- There is a provision of negative marking for each wrong answer for the above examination, which will be ¼ i.e. 25 percent of marks prescribed for that question.

Part -1

1. - **Crop Science**

- Classification of crops, major cereals, pulses, oilseeds, millets, fibber, cash crops, spices and fodder, fruits,flowers and vegetablescrops grown in the State andmajor crops production techniques and agro practices.
- Post-harvest management of produce.
- Fruits and vegetables preservation and processing .
- Principles of crop rotation, cropping pattern and types of farming like dry farming, integrated farming, natural farming, mono cropping, multiple cropping, intercropping and types and importance of organic farming, it's socio-economic importance/use.
- Importance of Seed, types of seeds and its production methods.
- Method of Seed treatment and its importance.
- Basic principles, scope and importance of crop protection, name of major equipments and chemicals used in pest control, integrated

pest management.

- Insect, pest and diseases of major crops and its management.
- Principles and Systems of produce storage, and factors affecting the quality of produce and storage & its management.

2. - **Biotechnology, Plant breeding & Crop physiology**

- Importance and utility of Biotechnology in agriculture.
- Principles, use and importance of Genetics & Plant Breeding.
- Photosynthesis, Respiration, Evaporation, Plant Anatomy and Metabolism.

3. - **Soil and Water Conservation**

- Properties and components of soil, process of soil formation, types of soil erosion and its conservation techniques.
- Essential nutrients found in soil, role and associated deficiency symptoms.
- Classification of fertilizers, its nutrient content and methods of application.
- Integrated nutrient management, types, importance and role of organic fertilizers/bio-fertilizers.
- Soil microbiology and its major role in crop production.
- Soil survey, methods of soil sampling and soil conservation techniques.
- Source, method and its importance of Irrigation.
- Basic concepts & methods of Drainage.
- Watershed Management.
- Types of pollution and environmental protection.

4. - **Agriculture Extension**

- Principles of agriculture extension and rural development
- Extension methodologies, audio-visual aids, classification and their importance.
- Training: objectives, importance and it's types
- Different programs and schemes of the Govt. of India and State Govt. run for the welfare of farmers and rural development.

5. - **Agriculture Economics & Schemes**

- Role of agriculture in One trillion economy of U.P.
- Economic reforms in Agriculture sector.
- Concept of import and export of agriculture produce.
- Formulation of plans for Agriculture.
- Principles of Agricultural statistics.
- Principles and importance of agricultural economics.
- MSP of different crops.
- Agricultural Marketing.

6. - **Dairy & Animal Husbandry**

- Different Breeds of domestic animals & feed management.
- Objectives and methods of animal breeding.
- Milk production and its distribution.
- Basic knowledge of Poultry farming, Fish farming, Apiculture and Seri culture.
- Major diseases of domestic animals, diagnosis and their treatment.

Part-2

Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology

and Contemporary Technological Development and Innovation in this field :-

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:

I. Hardware and Software
II. Input and Output
III. Internet Protocol/IP Address
IV. IT gadgets and their application
V. Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail
VI. Operation of Printer, Tablet and Mobile
VII. Important elements of Word Processing (MS-word) and Excel Processing (MS-Excel)
VIII. Operating System, Social Networking, e-Governance

- Digital Financial Tools and Applications
- Future Skills and Cyber Security
- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part- 3

General Information Related to The State of Uttar Pradesh :-

In this Part of the question paper, questions based on History, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dance, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forest, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity, Administration of Uttar Pradesh and Current Events and Achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc. will be asked from the candidates.

भवदीय

(राम आसरे राम)
उप सचिव।

Digitally Signed by राम आसरे राम
Date: 04-01-2024 16:38:12
Reason: Approved

परिशिष्ट

<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र</u>

जिला.................. जारी

दिनांक...............

तहसील................

आवेदन क्रमांक..........

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील.........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की.......................... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

...........................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.......................... ग्राम-तहसील..................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................ सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

पद..................... डिजिटल हस्ताक्षरित...........

स्थान................. ....

दिनांक................ दिनांक...............................

परिशिष्ट

<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र</u>

जिला.......................... जारी दिनांक..............

तहसील.......................

आवेदन क्रमांक.............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील.........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

...........................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.......................... ग्राम-तहसील..................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................	सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार
पद................................	डिजिटल हस्ताक्षरित...........
स्थान..............................	....
दिनांक............................	दिनांक...............................

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के पिछडी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला............................ जारी

दिनांक...............

तहसील.........................

आवेदन क्रमांक..............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम............................... निवासी................ग्राम............तहसील.........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, यह उत्तर प्रदेश लेक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि............................ पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एंव शासनादेश संख्या २२/१६/९२ टी0 सी0-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................

पद..................................

स्थान..............................

दिनांक.............................

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित...........

....

दिनांक...............................

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/ 2019/ 4/ 1/ 2002/ का-2/ 19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.......................... दिनांक-................................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/ पति/ पुत्री .... ग्राम/ कस्बा... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड............................ के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फाटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती---निवासी ग्राम-------- -------------------------------------तहसील--------------------------------------नगर------------------------ जिला-----------------------------------"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ---------------------------------------पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -------------------------------- --के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर----------------

पूरा नाम-----------------

पदनाम------------------

मुहर---------------------

जिलाधिकारी (सील)

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

Form-II
Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. ________________ son/wife/daughter of Shri ________________ Date of Birth (DD/MM/YY) __________ Age _____ years, male/female ______________ registration No. ____________ permanent resident of House No. __________ Ward/Village/Street ______________ Post Office ____________ District __________ State _____________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is ________________

(A) he/she has _______ % (in figure) ________________ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her ______ (part of body) as per guidelines (..............number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate.

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. ______________)	(Dr. ______________)	(Dr. ______________)
Member	Member	Chairperson
Medical Board with seal	Medical Board with seal	Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ______________________ son/wife/daughter of Shri ______________________ Date of Birth (DD/MM/YY) ________ Age _____ years, male/female __________.

Registration No. __________ permanent resident of House No. ________ Ward/Village/Street ________ Post Office ________ District ________ State ________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of, permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..............number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.........number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -
In figures : - ------------------ percent
In words :- -- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is :
   (i) not necessary,
   or
   (ii) is recommended/after .... years .... months, and therefore this certificate shall be valid till ----- ----- ------

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form –IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum______________________ son/wife/daughter of Shri ______________________ Date of Birth (DD/MM/YY)_____ _____ _____ Age ________ years, male/female __________ Registration No. __________ permanent resident of House No. __________ Ward/Village/Street __________ Post Office __________ District __________ State __________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of ______________________ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (........number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after ________ years ______________ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ____ ____ ____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued